

	आईएसओ 9001 :2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/09 /IIVR/IS15/09
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं. : 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या : 1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 1 का 1 Page No. 1 of 1

संतान शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति – 7वें वेतन आयोग से पूर्व
 {संदर्भ:कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008 (भत्ता) दिनांक 02 /09/2009}

सरकारी सेवक का नाम :

पद/पदनाम :

प्रभाग/अनुभाग/ईकाई :

मैं, श्री/डा./सुश्री यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि :

1. नीचे उल्लिखित संतान, जिनके संबंध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं:

संतान का नाम एवं जन्म तिथि	विद्यालय का नाम जिसमें अध्ययनरत	कक्षा एवं शैक्षणिक वर्ष	कुल भुगतान की गई शिक्षा भत्ता राशि	दावा की गई प्रतिपूर्ति की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
# पूरे वर्ष 20__-__ हेतु शिक्षण शुल्क /I/II/III/IV- अवधि/				रु.
पुस्तकों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
कॉपियों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
ड्रेस की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष दो सेट/संतान)		रु.
विद्यालयी जूतों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
उपरोक्त कॉलम 4 में भरी जाने वाली कुल राशि				रु.
2)				
# पूरे वर्ष 20__-__ हेतु शिक्षण शुल्क /I/II/III/IV- अवधि/				रु.
पुस्तकों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
कॉपियों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
ड्रेस की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष दो सेट/संतान)		रु.
विद्यालयी जूतों की खरीद		(प्रति शैक्षणिक वर्ष एक सेट/संतान)		रु.
उपरोक्त कॉलम 4 में भरी जाने वाली कुल राशि				रु.

2. संतान के विरुद्ध दर्शाया गया शिक्षा भत्ता वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान किया गया है। (रसीदें संलग्न हैं)

(नोट: विद्यालय शुल्क कार्ड की प्रति एवं बैंक चालान/भुगतान की गई रसीदें/खरीद रसीदों की मूल प्रतियां संलग्न की जानी हैं।)

	आईएसओ 9001 :2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/09/ IIVR/IS15/09
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं. : 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या : 1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 1 का 1 Page No. 1 of 1

REIMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE – Pre 7 CPC

{Ref: OM No.12011/03/2008 (Allowance) dated 02/09/2009}

Name of the Govt. Servant:

Post/Designation :

Division/Section/Unit :

I, Sh./Dr./Msdo hereby certify that :

1. The children/child mentioned below in respect of whom re-imbursement of Children Education Allowance is claimed is wholly dependent upon me:

Name of the Child & Date of Birth	School in which studying	Class in which studying & A/Y	Total Education allowance paid	Total Amount of reimbursement claimed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
# Tuition fees – for the whole Year 20 – 12 /I/II/III/IV- Term/				Rs.
Purchase of books (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of Note books (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of Uniforms (Two sets/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of School Shoes (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Total to be filled in column 4 above				Rs.
2)				
# Tuition fees – for the whole Year 20 – 12 /I/II/III/IV- Term/				Rs.
Purchase of books (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of Note books (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of Uniforms (Two sets/Per child/Per A/Y)				Rs.
Purchase of School Shoes (one Set/Per child/Per A/Y)				Rs.
Total to be filled in column 4 above				Rs.

2. The Education Allowance indicated against the child /Children has actually been paid by me (Receipts enclosed)

(Note: Copy of School fee card & Bank Challans /Paid up Receipts/Purchase receipts in original are to be enclosed)

	आईएसओ 9001 :2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/09 /IIVR/IS15/09
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं.:0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या: 1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 1 का 2 Page No. 1 of 2

3. प्रमाणित किया जाता है कि :

क. मेरे पति/ मेरी पत्नी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

ख. मेरे पति/ मेरी पत्नी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तथा उन्होंने हमारे संतान के संबंध में संतान शिक्षा भत्ता का दावा नहीं किया है/ नहीं करेंगे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि दावा अवधि के दौरान संतान नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहा तथा बिना उचित अवकाश स्वीकृति के एक माह से अधिक अवधि तक विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा किया गया दावा केवल जीवित दो ज्येष्ठ संतान के लिए है तथा जिस कक्षा/स्टैंडर्ड के लिए अब दावा किया जा रहा है, उसके लिए मैंने पूर्व में कभी दावा नहीं किया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि जिन संतानों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है उनकी आयु 20 वर्ष से कम है (शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग संतान के मामले में 22 वर्ष)।

7. उपर्युक्त दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होता है जिससे मेरी संतान शिक्षा भत्ता की पात्रता प्रभावित होती है, तो मैं इसकी सूचना तत्काल देने तथा यदि कोई अतिरिक्त भुगतान हुआ हो तो उसे वापस करने का वचन देता/देती हूँ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि कोई जानकारी असत्य/ मनगढ़ंत पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी तथा मेरे विरुद्ध सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

नोट: # ट्यूशन शुल्क से अभिप्राय ट्यूशन शुल्क, नामांकन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगीत अथवा किसी अन्य विषय हेतु लिया जाने वाला विशेष शुल्क, कार्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य हेतु लिया गया शुल्क, बच्चे द्वारा किसी सहायक उपकरण/सामग्री के उपयोग हेतु दिया गया शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकूद शुल्क तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों हेतु लिया गया शुल्क है।

संलग्नक :

दिनांक :

(सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर)

स्थान :

नाम :

संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा अग्रेषित

(नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर)

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी।

	आईएसओ 9001 :2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/09 /IIVR/IS15/09
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं. : 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या : 1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 1 का 2 Page No. 2 of 1

3. Certified that :

- My spouse is not a Central Government servant.
 - My spouse is a Central Government and that she/he has not claimed /will not claim children's educational allowance in respect of our child/children.
- Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.
 - Certified that the claim made by me, is for two eldest surviving children only and I have never claimed earlier for the standard /class in request of the children for which I am claiming now.
 - Certified that the children for whom re-imburement has been claimed are less than 20 years of age (22 years in case of physically/ mentally disabled child).
 - In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for children's educational allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any, made.
 - Certified that the information furnished above are true & correct. In case of any false/ fabricated information, I shall be wholly and solely responsible for the same and shall be liable for necessary action under CCS (CCA) Rules, 1965.

Note: # Tuition Fee Means Tuition fee, Admission fee, lab fee, special fee charged for agriculture, electronics, music or any other subject, fee charged for practical work under the programme of work experience, fee paid for the use of any aid or appliance by the child, library fee, games/sports fee and fee for extracurricular activities.

Encl:

Dated:

(Signature of the Govt. Servant)

Place:

Name:

Forwarded by concerned Head/ in-charge

(Name, Designation & Dated Signature)

To,

The Senior Admin. Officer

ICAR – IIVR, Varanasi.